न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 747–अध्यक्ष/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–1–2013 पारित द्वारा तहसीलदार डा0 अम्बेडकर नगर, महू जिला इंदौर प्रकरण कमांक 2/अ–70/11–12.

युथ विथ ए मिशन तर्फे चेयरमेन
तर्फे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या
प्रतिनिधि रामचन्द्र पिता सुभाषचन्द्र बोस
सरणु निवासी 502 सनसाईन अपार्टमेंट
एन 11/12 अनुप नगर इंदौर म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

मोहनलाल पिता रतिराम
निवासी ग्राम बोरखेडी तहसील डॉ0 अम्बेडकर नगर
जिला इंदौर, महू

.....अनावेदक

श्री के0 पी0 गंगारें, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/7/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, डॉ0 अम्बेडकर नगर, महू जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, डा0 अम्बेडकर नगर, महू के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा अनावेदक की भूमि सर्वे क्रमांक 29/3 के 76 आरे पर कब्जा किया जाकर अपने सर्वे नंबर 56 में शामिल कर लिया गया है और उस पर अनाथाश्रम का निर्माण कर बाउण्ड्री वाल बना ली गई है । अतः उक्त निर्माण कार्य हटाया जाकर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक को दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ–70/11–12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 14 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक मोहनलाल द्वारा अपने कथन में कहा गया है कि एक्स से वाय के नीचे की भूमि प्रदर्श पी–7 में उसकी नहीं है । अतः आवेदक एक्स से वाय की भूमि के फोटोग्राफ तथा अन्य दो फोटोग्राफ इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर रहा है, जिससे स्पष्ट दिखाई देता है कि एक्स से वाय की भूमि पर आवेदक ने आर0सी0सी0 का पक्का मकान बना लिया है, जो कि इसी भूमि के भाग से लगा हुआ है तथा प्रकरण सीमाकंन विवाद से संबंधित है, इसलिये मैं उक्त फोटोग्राफ को रिकार्ड पर प्रस्तुत करना चाहता है । प्रकरण के न्यायोचित निराकरण के लिये उक्त फोटोग्राफ अभिलेख पर लिया जाना आवश्यक है, अतः उक्त फोटोग्राफ अभिलेख पर लिया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 15–1–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) आवेदक की ओर से जो फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये है वह प्रकरण के निराकरण के लिये न्यायोचित हो सकते है । इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा उक्त फोटोग्राफ को रिकार्ड पर नहीं लेने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(2) तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है ।

(3) अनावेदक ने अपने कथन में स्वीकार किया गया है कि नक्शे की दुरूस्ती एक्स से वाय के नीचे की भूमि उसकी नहीं है और उसे नहीं मालूम यह भूमि किसकी है, जबकि उसके द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ में अनावेदक मोहनलाल का आर0सी0सी का एक मंजिल मकान बना है । इस कारण भी उक्त फोटोग्राफ रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है ।

(4) अनावेदक का झूट सामने आ जायेगा इसलिये उसके द्वारा फोटोग्राफ अभिलेख पर नहीं लिये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे मान्य करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

(5) जब अनावेदक अपने साक्ष्य में असत्य कथन कर रहा है तब फोटोग्राफ प्रकरण की वास्तविक विवादित परिस्थिति को समझने एवं हल करने में सहायक सिद्ध होगें, इसलिये भी उक्त फोटोग्राफ अभिलेख पर लिया जाना आवश्यक है ।

4/ अनावेदक के सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ फोटोग्राफ संलग्न कर प्रस्तुत करते हुये उन्हैं अभिलेख पर लिये जाने का अनुरोध किया गया है और तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ को अभिलेख पर नहीं लेते हुये आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं है । विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकारों द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत की जा सकती है, जिसका उन्हैं पूर्ण अधिकार है, और जिसे प्रकरण के वास्तविक निराकरण के लिये अभिलेख पर लिया जाना विधिक आवश्यकता है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ को अभिलेख पर नहीं लेने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । तहसीलदार को चाहिये था कि वे आवेदक की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ को अभिलेख पर लेकर उन पर साक्ष्य प्रति साक्ष्य लेते हुये विधिवत प्रकरण का निराकरण करते और आवेदक का यह दायित्व है कि वे प्रकरण के निराकरण के लिये फोटोग्राफ प्रासंगिक है, इसको सिद्ध करे और अनावेदक इस तथ्य को सिद्ध करे कि यह

फोटोग्राफ प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं है । इस प्रकार इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार आवेदक की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ अभिलेख पर लेकर उस पर उभयपक्ष को पक्ष समर्थन का अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, डा0 अम्बेडकर नगर, महू जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15—1—2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रथमतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ अभिलेख पर लिये जायें । तदोपरान्त उभयपक्ष को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण किया जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर